सामान्य

संख्याः 2270 /I(2)/2008-06(1)/33/2007

प्रेषक,

सी० भास्कर,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–2, देहरादूनः दिनांकः 02 सितम्बर, 2008

विषयः– वित्तीय वर्ष 2008–09 में परिवर्तकों के अर्थिंग हेतु ऋण स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 902/उपाकालि/नि(परि)/ए–12, दिनांक 29.07.2008 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 में परिवर्तकों की अर्थिंग कार्यो हेतु ऋण के रुप में वांछित धनराशि के सापेक्ष रु0 3,10,00,000.00 (रु0 तीन करोड़ दस लाख मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु निम्नांकित शर्तो के अधीन आपके निवर्तन में रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– उक्त धनराशि को आहरण एवं व्यय करने से पूर्व सभी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य कर ली जाय।

2– कार्य प्रारम्भ करने से पहले कार्यो का विस्तृत आगणन, कार्यो का विस्तृत विवरण, समयबद्ध समय सारिणी, लागत, लाभान्वित होने वाले क्षेत्र का विस्तृत विवरण शासन को भी उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा कार्य पूर्ण होने पर उक्त बिन्दुओं पर वास्तविक विवरण भी शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय एवं कार्यो का कियान्वयन परियोजना मोड में यथोचित बारचार्ट/पर्ट चार्ट आदि पूर्व में निश्चित कर किया जायेगा।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि केवल उक्त कार्यो एवं उद्देश्य हेतु ही व्यय की जायेगी।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा हस्ताक्षरित एवं जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर उपरान्त कोषागार, देहरादून में प्रस्तुत कर किया जायेगा।

5– व्यय करने से पूर्व योजनाओं पर बजट मैनुअल, फाईनेन्सियल हैण्डबुक, अधिप्राप्ति नियमावली तथा शासन के मितव्ययता के विषय में आदेश व तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

6– कार्यो पर व्यय करने से पूर्व इनके विस्तृत आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से अवश्य प्राप्त कर ली जाय। साथ ही कार्य करने से पूर्व सम्पूर्ण योजनाओं पर उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग एवं अन्य सक्षम स्तरों से यथा आवश्यक तकनीकी/वाणिज्यिक/वित्तीय/प्रशासनिक अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय। योजनाओं के सापेक्ष शेष धनराशि की व्यवस्था उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा अन्य वित्तीय स्रोतों से यथा समय अवश्य कर ली जाय।

7– स्वीकृत कार्यो की कम्प्यूटरीकृत सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

8– आवश्यक सामग्री का क्रय सम्बन्धित फर्म से प्राप्त सामग्री की जॉच के उपरान्त ही किया जायेगा एवं इस हेतु सक्षम अधिकारी को अधिकृत किया जायेगा, जो इस हेतु पूर्ण रुप से उत्तरदायी होंगे।

9– इस ऋण पर ब्याज की दर 8.5% निर्धारित की जाती है तथा विलम्ब की दशा में 1.0% अतिरिक्त विलम्ब शुल्क देय होगा। मूलधन की वापसी 10 वार्षिक किश्तों में (ब्याज सहित) माह अप्रैल, 2009 से प्रारम्भ होगा।

10– प्रत्येक ऋण आहरण की सूचना महालेखाकार, उत्तराखण्ड को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, वाउचर संख्या, निधि लेखाशीर्षक सूचित करते हुये भेजेंगे।

....2

11– उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 जब भी किश्तों का भुगतान करें ब्याज भी अवश्य जमा करें एवं महालेखाकार कार्यालय एवं शासन के ऊर्जा सैल को निम्न बिन्दुओं पर सूचना भेजे:–

1– कोषागार का नाम, 2– चालान सं0, 3– जमा धनराशि, किश्त, ब्याज, 4– शासनादेश संख्या और एस0एल0आर0 का संदर्भ, 5– लेखाशीर्षक , जिसके अन्तर्गत जमा की धनराशि ब्याज।

12– ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा आहरण के प्रत्येक वर्ष पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखे से अवश्य करें तथा शासन को मिलान की सूचना उपलब्ध कराई जाय तथा किश्तों के भुगतान का मिलान शासन से भी करा लें।

13– ऋणी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि ऋण से सम्बन्धित वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से करा लिया है ताकि अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहे और ऋणी संस्था महालेखाकार से इस आशय का प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दे।

14– स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन को दिनांक 31.03.2009 तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा। योजना का मासिक रुप से व्यय विवरण शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा।

15– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कर पी0एल0ए0 में रखी जायेगी जिसका आहरण आवश्यकता एवं कार्य की प्रगति के आधार पर तीन किश्तों में किया जाएगा। प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर ही दूसरी किश्त का आहरण किया जाएगा। इसी प्रकार तीसरी किश्त का आहरण भी द्वितीय किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर किया जायेगा। मासिक रुप से योजना की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को प्रस्तुत की जायेगी।

16– इस धनराशि से सर्वप्रथम गत वर्ष में 80 प्रतिशत किए गये कार्यो को पूर्ण किया जाएगा।

17– अवमुक्त की जा रही धनराशि का शासन को प्रस्तुत प्रस्ताव में निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के लक्ष्य अनुसार व्यय किया जायेगा।

18– भविष्य में सभी पूंजीगत कार्यो का वित्त पोषण वित्तीय संस्थाओं से करेंगे।

19– स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2008–2009 के आय–व्ययक के अनुदान सं0 21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 6801–बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज–05–पारेषण एवं वितरण–आयोजनागत–190–सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश–03–उत्तरांचल पावर कारपोरेशन को ऋण–00–30–निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 715/XXVII(2)/2008, दिनांक 01 सितम्बर, 2008 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सी0 भास्कर)
अपर सचिव

संख्या: 2270/1(2)/2008-06(1)/33/06, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2– निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– जिलाधिकारी, देहरादून।
4– कोषाधिकारी, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–2
6– समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/समाज कल्याण विभाग।
7– सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
8– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
9– विशेष सैल, ऊर्जा।
10– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
अनु सचिव

C:\Documents and Settings\...\Budget\GAL 2008-2009\UPCL BUDGET 08-09.doc